भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

* * *

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 20

(दिनांक 02.02.2022 को उत्तर के लिए)

आरक्षित श्रेणी के लिए सरकारी रिक्तियां

20. सुश्री एस. जोतिमणि:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केंद्र स्तर पर अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित नौकरियों के संबंध में सरकारी क्षेत्र में रिक्त पड़े पदों का विभाग-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार इन रिक्तियों को भरने की योजना बना रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) इतनी बड़ी संख्या में रिक्तियों के कारण क्या हैं; और

(ड.) केंद्र सरकार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग में आने वाले सचिवों और अवर सचिवों की संख्या कितनी है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) : कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) केन्द्र सरकार के 90 प्रतिशत से ज्यादा कर्मचारियों वाले 10 मंत्रालयों/विभागों से अनुसूचित जाति (अ.जा.), अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) और अन्य पिछड़ा वर्ग (अ.पि.व.) के लिए आरक्षित बैकलॉग रिक्तियों को भरे जाने में हुई प्रगति की निगरानी करता है। दिनांक 01.01.2021 तक की स्थिति के अनुसार मंत्रालय/विभाग-वार एवं श्रेणी-वार (अर्थात अ.जा., अ.ज.जा. एवं अ.पि.व.) बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों का विवरण **संलग्नक** में दिया गया है।

(ख) से (घ) : बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों सहित रिक्तियों को भरना एक सतत प्रक्रिया है। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों की पहचान करने, ऐसी रिक्तियों के मूल कारण का पता लगाने, ऐसी रिक्तियों के कारकों को समाप्त करने के लिए कदम उठाने एवं विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से उनको भरने हेतु एक आंतरिक समिति का गठन करने के संबंध में अनुदेश जारी किए गए हैं।

केंद्र सरकार के प्रत्येक मंत्रालय/विभाग को आरक्षण से संबंधित आदेशों एवं अनुदेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु उप सचिव अथवा उससे ऊपर की रैंक के किसी अधिकारी को संपर्क अधिकारी के रूप में नामोदिष्ट करना आवश्यक है।

(ड.) : दिनांक 01.01.2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत सरकार में अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणियों के सचिवों/विशेष सचिवों एवं अवर सचिवों की संख्या क्रमश: 6 और 409 है। अ.पि.व. के संबंध में आंकड़ों का रख-रखाव नहीं किया जाता है।

संलग्नक

दिनांक 02.02.2022 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 20 के उत्तर के भाग (क) में संदर्भित संलग्नक										
दिनांक 31.12.2020 (01.01.2021) तक की स्थिति के अनुसार बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों का आंकड़ा										
मंत्रालयों/विभागों द्वारा उपलब्ध कराए गए आकड़ों के अनुसार बैकलॉग रिक्तियों, भरी गई रिक्तियों और भरी नहीं गई रिक्तियों का श्रेणीवार विवरण										
क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			अन्य पिछड़ा वर्ग		
		रिक्तियां	भरी गईं	भरी नहीं गई	रिक्तियां	भरी गईं	भरी नहीं गई	रिक्तियां	भरी गईं	भरी नहीं गई
1	रक्षा उत्पादन	8847	6976	1871	7574	5880	1694	4684	4156	528
2	रेलवे	6940	3582	4445	6055	2288	4405	9135	5640	5403
3	वित्तीय सेवाएं	968	294	674	1166	486	677	1445	225	1145
4	डाक	1452	408	1044	864	197	667	819	240	579
5	रक्षा	1848	45	1803	1189	22	1167	3986	98	3888
6	आवास और शहरी मामले	147	81	66	94	51	43	302	121	181
7	गृह	6393	1108	4450	3524	466	2821	6610	717	5479
8	परमाणु ऊर्जा	137	21	116	149	16	133	571	31	540
9	राजस्व	3239	477	2762	2142	142	2000	1742	277	1465